निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 100 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के माह 02/2018 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री आलोक चौधरी/लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26/12/2018 से 03/01/2019 तक श्री ऐ॰ के॰ जैन/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-।

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर. एन. यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नन्दन सिंह/लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 16/02/2018 से 24/02/2018 तक श्री नीरज चुंगु/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं रखरखाव , नैनीताल जिले के घाटी, रामगढ़ एवं बेतालघाट ब्लॉक ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	911.03	911.03	1645.63	1595.69	-	-	-	49.94
2017-18	-	-	1038.44	1038.44	2032.96	2032.94	-	-	-	0.02
2018-19 (Upto 11/18)	-	-	866.32	773.21	1305.12	1042.32	-	93.11	-	262.08

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "बी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव,
2. प्रमुख अभियंता,
3. मुख्य अभियंता,
4. अधीक्षण अभियंता,
5. अधिशासी अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। बसगाँव से तवालेख मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजना (कार्य) पर लेखापरीक्षा अवधि (Jan-2018 to Nov-2018) के मध्य किया गया व्यय (अधिकतम जो F-64, जनवरी 2018 एवं नवम्बर 2018 के अन्तर के आधार पर अधिकतम व्यय के अनुसार जिस (उक्त) योजना पर अधिकतम था , उसे चयनित किया गया ।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक 12/03/18 से 16/03/18 का निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 11/2018 तक की गई।

7. फार्म-51: माह 11/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम ₹ 5,74,756.68

भाग द्वितीय ₹ 4,66,028.90

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .....के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 64,83,148/-
(ख) सामग्री क्रय -- शून्य --
(ग) नगद परिशोधन --शून्य--
(घ) निक्षेप ₹ 65,57,493.00
(ङ) भण्डार ₹ 25,75,161.00

भाग-2 (ब)

प्रस्तर (1):-बैंक में राशि को संधारित किए जाने के साथ अर्जित ब्याज को कोषागार में नहीं प्रेषित किया जाना:-` 14,887.00

उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 99/XXVII (14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर 2009 कोषागार से आहरित सरकारी निधि को बैंक में रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है परंतु इसके विपरीत राशि को बैंक में park किया गया था और बैंक में park किए गए राशि को ब्याज सहित, यदि है तो, कोषागार में प्रेषित कर देना चाहिए। यदि फिर भी आवश्यक हो तो कोषागार में Personal Ledger Account को खोलकर उसमे राशि को जमा किया जाना चाहिए तथा उसमे से व्यय किया जाना चाहिए।

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, **नैनीताल** के रोकड़ बही के जांच के दौरान यह पाया गया कि खण्ड द्वारा 26 फरवरी 2001 से Kurmanchal Nagar Sahkari Bank Limited, Nainital में बचत खाता संख्या- 44880 (ग्राहक) का संधारण किया जा रहा था जिसमे 04 जनवरी 2017 (last updated) तक `33,845.00 की राशि शेष है। यह खाता E.E. PWD के नामे संधारित किया जा रहा है। खंड के उत्तर से यह विदित होता है कि इस खाते में कार्य भारित कर्मचारियों के जीवन बीमा तथा अप्रेंटिस ट्रेनिंग की छात्रवृति की राशि को प्रेषित किया जाता है क्योंकि इस राशि की **DCL** नहीं प्राप्त होती है। इसके साथ ही, इस खाते में `14,887.00 की राशि ब्याज के रूप में बैंक द्वारा 31 मार्च 2011 से 30 सितम्बर 2016 के मध्य क्रेडिट किया गया था जबकि 26 फरवरी 2001 से 17 मार्च 2011 तक क्रेडिट हुए ब्याज से संबन्धित पासबुक लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करने और अक्तूबर 2016 के बाद अर्जित हुए ब्याज का पासबुक में इंद्राज नहीं होने के कारण कुल अर्जित ब्याज की गणना नहीं की जा सकी थी। इस संबंध में यह विदित है कि अर्जित हुए ब्याज की सूचना खंड से मांगी गयी थी परंतु लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस प्रकार, यह पाया गया कि ब्याज की राशि को कोषागार में प्रेषित नहीं किया जा सका था और यह वर्तमान में बैंक खाते में ही पड़ा है।

खंड द्वारा उत्तर में बतलाया गया कि भविष्य में ब्याज की धन राशि को कोषागार में जमा करा दिया जाएगा।

खंड का उत्तर लेखा परीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है। अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 ब

प्रस्तर-2 **वित्तीय नियमो की अवहेलना करते हुए भूमि का क्लियर टाईटल प्राप्त किये बिना धनराशि ₹ 309-61 लाख का कार्य प्रारंभ किया जाना।**

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI के पैरा 378 के अनुसार - No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officer.

विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत बसगॉव से तवालेख (ग्रामीण मार्ग) के किमी0 01 से किमी0 6 में पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु रू0 309.61 **लाख** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (7/2016)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा समान धनराशि **पर** प्रदान की गई थी **(10/2016)**। कार्य हेतु एक अनुबन्ध 46/एस0ई0–02/2016–17 दिनांक– 03.01.2017 गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 3.01.2017 तथा 02.04.2018 थी। कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक अपूर्ण था।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि का क्लेयर टाईटिल प्राप्त नहीं किया गया था, **अर्थात मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया था ।** सम्बन्धित काश्तकारों को भूमि मुआवजा भुगतान नहीं **दिया जाने के कारण उनके द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा था एवं कार्य को रुकवाया जा रहा था । जिसके कारण अनुबंधानुसार कार्य समाप्ति की तिथि बीत जाने के बाद भी वर्तमान तक कार्य अपूर्ण था ।**

इस प्रकार कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व खण्ड द्वारा भूमि का क्लेयर टाईटिल प्राप्त नहीं किया **जाना स्पष्ट रूप से उक्त वित्तीय नियमो का उल्लंघन था साथ ही इस कार्य योजना का जो उद्देश्य था वह अप्राप्त था। उक्त के अतिरिक्त** उक्त कार्य **हेतु सिक्योरिटी डिपाजिट** के सापेक्ष बैंक गारंटी को अपडेट नहीं करवाया गया था, **जिसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर खंड द्वारा अपडेट करवाया गया ।**

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि भूमि मुआवजा हेतु रू0 103.70 लाख मात्र का प्रतिकर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मुआवजा की धनराशि काश्तकारों को दी जायेगी। खण्ड **के** उत्तर **से स्वतः ही स्पष्ट है की खंड द्वारा** भूमि का **क्लियर** टाईटिल **प्राप्त किये बिना** कार्य प्रारम्भ **किया गया जिससे कार्य वर्तमान तक अपूर्ण था ।**

अतः भूमि का **क्लियर** टाईटिल प्राप्त **किये बिना** ` 309.61 **लाख का कार्य प्रारंभ किये जाने** का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:3 - प्रदत्त प्रकीर्ण अग्रिम `64.28 लाख का असमायोजित रहना ।

Paragraph-93 of the Financial Hand Book (volume-VI) provides that the record of transaction of receipt or expenditure should always be made at once under the final or the debt or remittance head to which it pertains, if that be known; but if the exact head cannot be ascertained at once, then the transaction should be temporarily classified under the head "Deposits" if a receipt or under Miscellaneous P.W. Advances, if a charge. Further, paragraph- 235 (b) provides that the value of a deficit should, however, note be charged off finally, but kept under "Miscellaneous P.W. advances" pending recovery or adjustment under orders of competent authority. When the lose is declared to be irrecoverable and its write-off ordered, a transfer entry should be prepared clearing the head "Miscellaneous P. W. advances. Paragraph- 584 provides that items in the "Miscellaneous P.W. advances" account are cleared either by actual recovery or by transfer, under proper sanction or authority, to some other head of account. Items or balances which may become irrecoverable should not be so transferred until ordered to be written off.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल द्वारा संधारित प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका में 14 व्यक्ति/ फ़र्म जिन्हे 04 वर्ष से 37 वर्ष पूर्व प्रकीर्ण अग्रिम प्रदान किया गया था जिसमे से `64.28 लाख की राशि वर्तमान (नवम्बर 2018) तक असमायोजित है जिसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है।

क्र0 सं0	फ़र्म / व्यक्ति का नाम	वर्ष	राशि (` में)	अवधि जब से असमायोजित है
1.	मै० सरीन जोशी जैन एसो० नई दिल्ली	09/1981	38305.00	37 वर्ष
2.	श्री आर० एन० पाण्डे (ठेकेदार)	12/1998	25301.20	20 वर्ष
3.	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, नैनीताल	03/2012	665719.00	06 वर्ष 09 माह
4.	मै० जे० के० इंडस्ट्रीज़ लि० हल्द्वानी	02/2012	36364.00	06 वर्ष 10 माह
5.	श्री धरम सिंह (ठेकेदार)	01/2011	1834.00	07 वर्ष 11 माह
6.	मै० रामदूत प्रो० प्राइवेट लिमिटेड	03/2012	173785.00	06 वर्ष 09 माह
7.	श्री गोविंद जोशी (ठेकेदार)	03/2012	630.00	06 वर्ष 09 माह
8.	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्द्वानी	10/2012	165759.00	06 वर्ष 02 माह
9.	अधिशासी अभियंता, वि०/यां० खण्ड, लो०नि०वि०, भीमताल	03/2012	203306.00	06 वर्ष 09 माह
10.	डीन जी० बी० पन्त यूनिवर्सिटी, पंतनगर	07/2013	100562.00	05 वर्ष 05 माह
11.	श्री मोहन सिंह (अमीन)	12/2013	10000.00	05 वर्ष
12.	मेसर्स जे के प्रोजेक्ट्स इंजीनियर लिमिटेड, नैनीताल	NA	4991463.00	NA
13	मेसर्स सतपाल भारत	11/2017	13180.00	01 वर्ष
14.	दीप्ति फिलिंग स्टेशन, भवाली नैनीताल	12/2014	2000.00	04 वर्ष
			64,28,208.20	

पुनः जांच में यह पाया गया था कि उपरोक्त राशि में से `0.64 लाख की राशि 20 वर्ष से 37 वर्ष से असमायोजित है और इनका समायोजन अभी तक लंबित है तथा शेष राशि `63.64 लाख की राशि 07 वर्ष 11 माह से 01 वर्ष से समायोजित नहीं की जा सकी थी।

उपरोक्त इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्द्वानी से `63.64 लाख की राशि वसूल कर ली गयी है और मात्र `1.66 लाख की राशि अवशेष है जिसे प्रस्तर में स्वीकार कर लिया गया है। पुनः यह भी बतलाया गया कि अन्य व्यक्ति/फ़र्म से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। परंतु, खंड द्वारा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक दिनांक 22 अगस्त 2018 के आलोक में शेष असमायोजित प्रकीर्ण अग्रिम के आलोक में अग्रिम के समायोजन के लिए क्या कार्यवाही की गयी थी, कोई माकूल उत्तर नहीं दिया गया था।

खंड का लेखा परीक्षा अवलोकन की स्वयं स्वीकारोक्ति है। अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:4 - रु0 51.20 लाख के डायवर्जन (diversion) एवं वित्तीय अनियमितता कर किया गया अनियमित व्यय |

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के अभिलेखो की नमूना लेखा–परीक्षा जॉच में पाया गया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र–नैनीताल के अन्तर्गत मौना–ल्वेशाल–कालापाताल मोटर मार्ग के किमी0 6.000 से 10.000 एवं 16.000 से 32.000 में पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (प्रीमिक्स कॉरपेट द्वारा) की लागत रू0 551.79 लाख के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0– 2211 / ।।।(2) / 15–11(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक– 30.03.2015 द्वारा लागत रू0 551.79 लाख प्राप्त थी। उक्त कार्य का विस्तृत आगणन रू0 551.79 लाख की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पत्रांक– 5055 / 02 याता0–हल्द्वानी / 2015 दिनांक– 03.08.2015 प्राप्त थी।

उक्त कार्य हेतु अनुबन्ध सं0– 13 / एस0ई0–2015–16 दिनांक– 16.10.2015, अनुमानित लागत रू0 5,44,81,112.29, निविदा लागत रू0 5,13,12,900.00 गठित किया गया था। उक्त कार्य की पूर्ण करने की वास्तविक तिथि 19.03.2017 थी।

विस्तृत आगणन के अनुसार राज्य योजना (वर्ष 2014–15) के अन्तर्गत मौना–ल्वेशाल–कालापाताल (ग्रामीण मार्ग) मोटरमार्ग के किमी0 6 से 10 एवं 16 से 32 में पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य (प्रीमिक्स कॉरपेट द्वारा) की अनुमानित लागत रू0 5,46,66,315.49 एवं गुणवत्ता नियंत्रण एवं यंत्र–संयत्र हेतु रू0 5,12,684.51 कुल रू0 5,51,71,000.00 की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त थी।

उपरोक्त अनुबन्ध के निविदा लागत रू0 5,13,82,900 के सापेक्ष रू0 4,93,44,428.00 का अन्तिम भुगतान 6^{th} / Final Bill वाउचर सं0– 37 सी दिनांक– 29.01.2018 करते हुए कार्य पूर्ण किया गया।

माह नवम्बर 2018 के फार्म–64 के अनुसार अनुमानित लागत रू0 551.79 की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति सहित, के सापेक्ष रू0 5,49,77,946.00 व्यय दर्शाया गया है।

फॉर्म–64 के अनुसार कार्य पर रू0 5,49,77,946.00 का व्यय हुआ है जब कि कार्य हेतु गठित अनुबन्ध के सापेक्ष अंतिम भुगतान रू0 4,93,44,428 एवं गुणवत्ता नियन्त्रण पर रू0 5,12,684.51 का प्राविधान था। इस प्रकार दोनो मदों पर रू0 4,98,57,112.51 का व्यय है। इस प्रकार अन्तरीय व्यय रू0 51,20,833.49 (रू05,49,77,946– रू0 4,98,57,112.51) कार्य पर वास्तविक रूप से किये व्यय से ज्यादा था।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि उपरोक्त कार्य पर व्यय अनुबंध संख्या 10 AEIII एवं 109 AEIII एवं 48 AEIII, 46/AEIII के द्वारा इसी मार्ग के विभिन्न किलोमीटरों पर हुई क्षति के मरम्मत का कार्य उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशानुसार एवं कार्य की आवश्यकता एवं राजकीय हित में संपादित किया गया है। इस कार्य के अभिलेखों की प्रारम्भिक जांच से ज्ञात हुआ कि माह 02/2018 में VRNo 14 C के कार्य 14/EE 12.1.2015 मौना–ल्वेशाल–कालापाताल किमी0 13 में पुनः निर्माण व डामरीकरण का कार्य रु0 497557.00 एवं माह 03/2018 में VrNo56 C के अंतर्गत कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत मौना–ल्वेशाल–कालापाताल मोटर मार्ग के किमी0 13 है0मी0 8-10 में स्कपर का सुरक्षात्मक कार्य व कि0मी0 14 है0मि0 0-2 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य 70 AEII, 19.01.2018 में रु0 191645.00 का व्यय त्रुटिवश इस कार्य में डेबिट (Dr.) हो गया था, जिसे आगामी माह में TE द्वारा ठीक कर लिया जाएगा।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत कार्य के विस्तृत आगणन प्रतिवेदन (Report) के आवश्यकता पैरा में यह दिया है की उक्त मोटर मार्ग के किमी0 11 से 15 तक का भाग जो कि कच्चा है का विस्तृत आगणन अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन देहारादून के पत्रांक 1109/111(2)/14-52(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 20.2.2014 द्वारा 5.00 किमी0 लंबाई हेतु धनराशि रु0 201.28 लाख मात्र स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तथा इस भाग में वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। साथ ही प्रश्नगत मौना–ल्वेशाल–कालापाताल मोटर मार्ग के किमी 6.000 से 10.000 एवं 16.000 से 32.000 में पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (प्रीमिक्स कॉरपेट द्वारा) की लागत रू0 551.79 लाख के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गयी थी। अतः स्पष्ट है कि उक्त मोटर मार्ग के किमी0 11 से 15 तक के भाग पर, स्वीकृत रु0 551.79 लाख में से व्यय किया जाना अनियमित है।

इस प्रकार खंड द्वारा उक्त मोटर मार्ग के कि0मी0 13 एवं 14 पर अनुबंध संख्या 70/AEIII दिनांक 19.1.2018 द्वारा रु0 191646, मोटर मार्ग के कि0मी0 13 पर अनुबंध संख्या 14/AE III दिनांक 12.1.2015 द्वारा रु0 2670703 एवं मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से 30 के मध्य पर अनुबंध संख्या 10/AE III दिनांक 18.4.2018 द्वारा रु0 996780 कुल रु0 3859129 का व्यय स्वीकृत कार्य से भिन्न कार्य पर किया गया जोकि निधि का डायवर्जन (diversion) एवं वित्तीयनियमों के विपरीत है। साथ ही, रु0 1261704.49 (5120833.49-3859129) के व्यय के बारे में खंड द्वारा उत्तर नहीं दिया

गया। उल्लेखनीय है कि अंतरीय रु 2.01 लाख (स्वीकृत रु0 551.79 लाख - व्यय रु0 549.78 लाख) की भी अद्यतन स्थिति खंड द्वारा दी जानी चाहिये।

अतःरु0 51.20 लाख के डायवर्जन (diversion) एवं वित्तीय अनियमितता कर किया गया अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

<u>भाग - 03</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
2000-01/24	-	3
2002-03/25	1	3
2003-04/04	2	2
2004-05/85	-	1
2005-06/85	2	1
2006-07/65	1	3
2008-09/41	3	-
2010-11/10	2	2
2011-12/25	3	-
2012-13/01	-	2
2014-15/02	2	1
2015-16/34	1	1,2,3,4,5,6,7,8, STAN-01
2016-17/71	-	3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खण्ड ने उत्तर में बताया कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उनके कार्यालय से पत्रांक 3624/ AIR dated 20.12.18 द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है । अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखे जा सकते है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   - **(i) खीना-पानी फुलमाड मोटर मार्ग के संबन्धित अभिलेख statement**
   - **(ii) बसगाँव-तदलिख मार्ग के GST से संबन्धित एवं अद्यतन रॉयल्टी अभिलेख**
   - **(iii) MB-513/L, 591/L एवं विगत लेखापरीक्षा के अप्रस्तुत MB-530/L, 572/L, 573/L**
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	अवधि
1.	श्री डी॰ एस॰ कुटियाल	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबध्द रहे।**

1.	श्री एन. एस. मेहता	विगत लेखापरीक्षा से 04/08/2018 तक ।
2.	श्री सी. डी. पांडे	04/08/2018 से 25/08/2018 तक ।
3.	श्री सुनील निगम	26/08/18 से 10/10/2018 तक ।
4.	श्री सी. डी. पांडे	11/10/18 से वर्तमान तक ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II